



चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनांक 21.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा (थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मार्केट, सोनेपुर, धतुरहा चौराहा आदि जगहों में, थाना मारकुंडी द्वारा थाना तिराहा व ग्राम नई बस्ती अमचूर नेरुवा में, थाना पहाड़ी द्वारा ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग में, थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम पड़रिया में, थाना सरधुवा द्वारा ग्राम पनौटी में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). दिनांक 22.10.2026 को पुलिस लाइन, चित्रकूट में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदान को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए निम्न महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये -

1. आदर्श आचार संहिता का पालन करें।
2. राजनैतिक तटस्थता बनाये रखें।
3. पीठासीन अधिकारियों को मतपेटियों की सुरक्षा हेतु सहयोग करें।
4. मतदान हेतु एकत्रित भीड़ में से संदिग्ध व्यक्तियों व सामग्रियों पर सतर्क दृष्टि रखें।
5. लापरवाह/असामाजिक व्यक्तियों को संदेह से देखें।
6. जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों/जोनल अधिकारियों/सेक्टर अधिकारियों एवं जनपद कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर अवश्य रखें।
7. मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में वोट मांगने व डराने धमकाने में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखें तथा उनको रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाएं व बरास्ता मतदान केन्द्र में रिपोर्ट दर्ज करें।
8. पीठासीन अधिकारियों/मतदान दलों, मतदाताओं तथा मतदान एजेंटों के प्रति विनम्र/सभ्य तथा सहयोगशील रहें।
9. पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिये गये उचित निर्देशों का पालन करें, उनके बुलाने पर ही शांति व्यवस्था हेतु बूथ में प्रवेश करें।
10. किसी भी परिस्थिति में मादक पदार्थों का सेवन न करें।
11. किसी भी उम्मीदवार/उसके एजेंट अथवा राजनैतिक से सम्बन्धित व्यक्ति से कोई सुविधा अथवा सामग्री ग्रहण न करें।
12. किसी भी उम्मीदवार के लिये चुनाव एजेंट/पोलिंग एजेंट अथवा मतगणना एजेंट का कार्य न करें।
13. किसी भी व्यक्ति को वोट देने/न देने के लिये प्रेरित करने अथवा किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित करने का प्रयास न करें।
14. ऐसा व्यवहार अथवा वार्तालाप न करें जिससे किसी राजनीतिक पार्टी अथवा उम्मीदवार के प्रति झुकाव अथवा द्वेष परिलक्षित होता हो।
15. चुनाव प्रचार में न तो भाग लें न ही अपने मत का प्रयोग करें अथवा किसी प्रकार की राय व्यक्त करें।
16. पीठासीन अधिकारी के आदेश बिना मतदान केन्द्र न छोड़ें।
17. मतदान स्थल, मतपेटियों आदि की सुरक्षा के लिये आवश्यक बल का प्रयोग करने में न हिचकिचायें यह आपका प्राथमिक दायित्व है।
18. मतदान केन्द्रों पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में किसी प्रकार का निषेधाज्ञा न दिखायें।
19. मतदान केन्द्र/परिसर को छोड़कर किसी परिस्थिति से निपटने के लिये वहां से न हटें। अस्वस्थता/अनुपस्थिति के दौरान उनकी मतदान केन्द्र को गंभीर क्षति पहुँचा सकती है।
20. मतदान स्थल पर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री किसी को न ले जाने दें - मद्यपान, अस्त्र-शस्त्र, मोबाइल आदि।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी फायर सर्विस श्री यदुनाथ यादव, प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव, प्रभारी मीडिया सेल निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह, प्रभारी चुनाव सेल निरीक्षक श्री शिवआसरे, चुनाव ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंचे फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए।

(4). इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस बल एवं पोलिंग पार्टियों को दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत ब्रीफ किया गया।

ब्रीफिंग के उपरान्त जनपद के 06 मतदान केन्द्रों हेतु 13 पोलिंग पार्टियों को आवश्यक मतदान सामग्री एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपने-अपने गन्तव्य मतदान केन्द्रों के लिये रवाना किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में 30न0 श्री अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र निषाद पुत्र पवन कुमार निषाद निवासी दीन दयाल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 06 अदद कागज की पुड़िया सहित कुल 29.72 ग्राम सूखा गांजा की पुड़िया हटाकर कुल 15 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. 30न0 श्री अरविन्द्र कुमार सिंह
2. आरक्षी विनोद पटेल

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह के मार्गदर्शन में 30न0 श्री राजेश कुमार मय हमराह थाना मऊ द्वारा अ0सं0 1333/2010 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के वारंटी अभियुक्त संजय भुजवा पुत्र भरोसी लाल निवासी भवानीगंज अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा हाल निवासी गंगा जी रोड कर्वी को गिरफ्तार किया।

(7). उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मानिकपुर क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण एवं कस्बा मानिकपुर में पैदल गश्त

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदान को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आज दिनांक 22.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा थाना मानिकपुर क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा :-

1. मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस बल को चेक किया गया तथा ड्यूटी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
2. मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार सामग्री, अवांछनीय भीड़ एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया।
3. पीठासीन अधिकारियों से वार्ता कर मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली गई तथा मतपेटिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया गया।

4. मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं जैसे बैरिकेडिंग, पेयजल, छाया आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस बल के साथ कस्बा मानिकपुर में पैदल गश्त की गई। पैदल गश्त के दौरान आमजनमानस से संवाद स्थापित कर भयमुक्त होकर मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई।

गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई तथा दुकानदारों एवं संभ्रांत व्यक्तियों से शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग की अपील की गई।

महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर को निरन्तर भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि बनाये रखने एवं आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(8). आज दिनांक 22.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त की गई।

इस दौरान पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकानों, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबों तथा दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की चेकिंग की गई। संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।